न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 395/16 निर्णय दिनांकः 06.09.2018

1. प्रतापाराम पुत्र भरूराम जाति बिश्नोई निवासी फूसासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. देवीलाल पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी राजपुरा हुडान तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20—11—1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—11—1993 जिसके द्वारा अपीलांट् को टीसी से पुख्ता आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को वर्ष 1982 में टीसी पर भूमि आवंटित की गई थी जो चकों में परिवर्तित होने पर चक 6 सीडब्ल्यूबी उपनिवेशन तहसील कोलायत 4 के मुरब्बा नम्बर 28/65 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12 कुल 5 बीघा भूमि के रूप में पैमूद होकर पुख्ता आवंटित की गई। जिस पर अपीलांट का आवंटन वर्ष 1982 से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की तमाम किश्तें भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा पानी की बारी भी अपीलांट के नाम से जारी है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का आज दिनांक को भी कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी दिनांक 20—11—1993 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 में 9 बीघा 11 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया जिसमें किला नम्बर 11 ता 13, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 का आवंटन किया गया। जिसमें से किला नम्बर 12 जोकि पूर्व में ही अपीलांट को टीसी से पुख्ता आवंटित था का सहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। जबकि कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का टीसी से पुख्ता आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से

काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि चक 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 11 ता 13, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 में 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 20—11—1983 को किया गया था तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् विधिवत कब्जा प्राप्त करते हुए दिनांक 05—05—2010 को वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार निर्धारित जमा करवाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रदान कर दिये गये। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त वादगत् भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अन्य व्यक्ति श्रीमती पेम्पादेवी पत्नि सिमरथाराम जो विक्रय की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही आज दिनांक को अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय वादगत् भूमि वर्तमान खातेदार को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील वर्तमान राजस्व रिकार्ड के विपरीत प्रस्तुत किया जाना साबित है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः

अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—11—1983 के विरूद्व अपील दिनांक 25—01—2011 को प्रस्तुत की गई जो कि करीब 28 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई युक्तियुक्त व ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1982 में अपीलांट को टीसी में भूमि आवंटित की गई थी जो चकों में परिवर्तित होने पर चक 6 सीडब्ल्यूबी उपनिवेशन तहसील कोलायत 4 के मुरब्बा नम्बर 28/65 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12 कुल 5 बीघा भूमि के रूप में पैमूद होकर पुख्ता आवंटित की गई। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की तमाम किश्तें भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा पानी की बारी भी अपीलांट के नाम से जारी है।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि चक 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 11 ता 13, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 में 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 20—11—1983 को किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 05—05—2010 को वादगत् भूमि के बाबत् निर्धारित जमा राशि जमा करवाते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये।

(2) प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा अपने आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का प्रथम आवंटन अपीलांट को बतौर टीसी आवंटन वर्ष 1982 में किया गया था तथा तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या को दिनांक 20—11—1993 को आराजी जैर का

आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन में से किला नम्बर 12 की भूमि पूर्व में ही अपीलांट को टीसी से पुख्ता आवंटित भूमि थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के पश्चात्वर्ती आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या रेस्पोडेन्ट के आवंटन की दिनांक को वादगत् आराजी विशुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी अथवा नहीं?

(4) हमने पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तत दस्तोवेजों से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर टीसी आवंटन में वर्ष 1982 में आवंटित भूमि थी। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये अथवा इस तथ्य की जॉच किये बिना कि क्या वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न संशोधन आदेश का भी अवलोकन किया गया। उक्त संशोधन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रतापाराम पुत्र भरूराम का खातेदारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि चक 6 सीडब्ल्यूडी का मुरब्बा नम्बर 65/28 में किला नम्बर 12 का डबल आवंटन हो गया है जिसमें प्रतापाराम को टीसी से पुख्ता आवंटन दिनांक 11—05—1983 को हुआ तथा देवीलाल पुत्र हरचन्दराम को दिनांक 20—11—1993 को भूमिहीन पुख्ता आवंटन है। तहसील रिपोर्ट अनुसार किला नम्बर 12 पर वर्तमान में श्री प्रतापाराम का कब्जा काश्त है तथा पासबुक में भी किला नम्बर 12 इन्द्राजात है। उक्त तथ्य के आधार पर प्रथम आवंटी प्रतापाराम के नाम चक 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 12 का टीसी से पुख्ता आवंटन कायम रखते हुए देवीलाल पुत्र हरचन्दराम को किया गया किला नम्बर 12 का पश्चात्वर्ती आवंटन निरस्त किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देवीलाल को जारी खातेदारी सनद् 755/22 दिनांक 05—05—2010 में से किला नम्बर 12 को हटाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

ऐसी स्थिति में यह तथ्य भलींभांति स्पष्ट हो चुका है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किला नम्बर 12 का आवंटन पश्चात्वर्ती व सहवन से किया गया आवंटन है। चूंकि वादगत् भूमि अर्थात 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 12 का आवंटन अपीलांट को टीसी से पुख्ता आवंटन है। जोकि किसी भी स्थिति में शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया पश्चात्वर्ती आवंटन निरस्त योग्य आवंटन है जिसकी उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20—11—1993 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत चक 6 सीडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 12 की हद तक निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर